कार्यालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0– 05/2020–21

श्री हरीश छाबड़ा,
पिता– स्व0 सुरेन्द्र लाल छाबड़ा
साकिन– गुरूद्वारा रोड, झु0ति0

08.10.2020 श्री हरीश छाबड़ा, पिता– स्व0 सुरेन्द्र लाल छाबड़ा, साकिन– गुरूद्वारा रोड, पोस्ट– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा आवेदन एवं शपथ–पत्र के माध्यम से बताया गया है कि उनकी खतियानी भूमि यथा मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के खाता सं0– 06, प्लॉट नं0– 6917, रकबा– 0.08 ए0 भूमि, जिसकी जमाबंदी मौजा– तिलैया के पंजी II के पृष्ठ सं0– 3/1 पर उनके दादा, अर्जुन सिंह के नाम से कायम है, का ऑनलाइन पंजी II में प्रविष्टि नहीं हुई है।

आवेदक, श्री छाबड़ा के द्वारा ऑफलाइन खतियान तथा ऑनलाइन खतियान की प्रति, सरकारी लगान रसीद सं0– 301031 दिनांक 04.12.1992 एवं सरकारी लगान रसीद सं0– 295001 दिनांक 23.10.1972 की छायाप्रति एवं शपथ–पत्र सं0– 12 दिनांक 04.11.2019 की मूल प्रति को अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए ऑनलाइन पंजी II में उक्त भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी को दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर से विहित प्रपत्र में स्पष्ट जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 16/10/2020 को उपस्थापित करें।

08/10/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

16.10.2020 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर द्वारा जाँच–प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में) समर्पित किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है।

राजस्व दस्तावेजों के जाँचोपरांत राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के पंजी II के पृष्ठ सं0– 3/1 पर खाता सं0– 06, प्लॉट नं0– 6917, रकबा– 0.08 ए0 भूमि संलग्न रसीद के अनुसार श्री अर्जुन सिंह, पिता– भाग सिंह के नाम से दर्ज था। वर्तमान में उक्त पंजी II का पृष्ठ क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे जमाबंदीधारक के नाम से जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। आवेदित भूमि रैयती है। लगान वर्ष 1992–93 तक वसूल है। अमीन की मापी प्रतिवेदन के पश्चात अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।"

Scanned with Cam

अंचल अमीन के द्वारा जाँचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के अन्तर्गत खाता सं0– 06, प्लॉट नं0– 6917, रकबा– 0.08 ए0 भूमि का स्थल जाँच सर्वे–नक्शा के आधार पर किया, जिसमें पाया कि उक्त भूमि पर आवेदक का मकान बना हुआ है एवं दखल–कब्जा है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन में प्लॉटवार रकबा– प्रविष्टि हेतु अनुरोध किया गया है। अतः पूर्व से कायम जमाबंदीधारक के नाम से ऑनलाइन में मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के अन्तर्गत खाता सं0– 06, प्लॉट नं0– 6917, रकबा– 0.08 ए0 भूमि की प्रविष्टि की कार्रवाई की जा सकती है।"

अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "हल्का कर्मचारी एवं अंचल अमीन के प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।"

अंचल नाजीर के द्वारा अभिलेख में संलग्न लगान रसीद का अंचल नजारत में संधारित लगान भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया है, "रसीद सं0– 301031 का मिलान रसीद निर्गत भंडार से किया और सही पाया।"

आवेदक/दावेदार को नोटिस निर्गत कर उक्त भूमि से संबंधित मूल राजस्व की कागजात की मांग करें। साथ ही आम–इस्तहार निर्गत कर दावा/आपत्ति प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक ..31.../...10.../2020 को उपस्थापित करें।

16/10/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

31.10.2020

अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक/दावेदार, श्री हरीश छाबड़ा, पिता– स्व0 सुरेन्द्र लाल छाबड़ा, साकिन– गुरूद्वारा रोड, पो0– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा द्वारा अपने दावे के समर्थन में ऑनलाइन खतियान की प्रति तथा ऑफलाइन खतियान, सरकारी लगान रसीद सं0– 301031 दिनांक 04.12.1972 एवं सरकारी लगान रसीद सं0– 295001 दिनांक 23.10.1992 को मूल में प्रस्तुत किया गया है।

आम–इस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दावा/आपत्ति नहीं की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक से मंतव्य के साथ प्रतिवेदन प्राप्त करें।

अभिलेख दिनांक ..06.../...11.../2020 को उपस्थापित करें।

31/10/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with Cam

06.11.2020

अभिलेख उपस्थापित।

संबंधित हल्का राजस्व उपनिरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, ''अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है।''

अभिलेख दिनांक 25 / 11 /2020 को उपस्थापित करें।

06/11/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

25.11.2020
28.12.2020

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक/दावेदार, श्री हरीश छाबड़ा, पिता– स्व0 सुरेन्द्र लाल छाबड़ा, साकिन– गुरूद्वारा रोड, पो0– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के द्वारा प्रस्तुत किये राजस्व दस्तावेज यथा ऑनलाइन खतियान की प्रति तथा ऑफलाइन खतियान, सरकारी लगान रसीद सं0– 301031 दिनांक 04.12.1972 एवं सरकारी लगान रसीद सं0– 295001 दिनांक 23.10.1992 तथा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जांच के उपरांत विहित प्रपत्र में समर्पित जांच–प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के पंजी II के पृष्ठ सं0– 3/1 पर खाता सं0– 06 प्लॉट नं0– 6917, रकबा– 0.08 ए0 भूमि की जमाबंदी अर्जुन सिंह, पिता– भाग सिंह के नाम से कायम था। जमाबंदी पंजी II का उक्त पृष्ठ क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी, ऑनलाइन पंजी II में प्रविष्टि नहीं हो पायी। आवेदित भूमि रैयती खाते की है।

अतः आवेदक/दावेदार द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेजों तथा हल्का राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा– तिलैया, थाना नं0– 244 के ऑनलाइन पंजी II में खाता सं0– 06, प्लॉट नं0– 6917 रकबा– 0.08 ए0 भूमि, लगान– 2.00 रू0 अर्जुन सिंह, पिता– भाग सिंह, साकिन– गुरूद्वारा रोड, पो0– झुमरी तिलैया, थाना– तिलैया, जिला– कोडरमा के नाम से जमाबंदी दर्ज करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

उक्त आदेश से यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो, तो वे सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

अतः अभिलेख में कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

28/12/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

28/12/2020
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

Scanned with Cam